रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-25122025-268804
CG-DL-E-25122025-268804

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 831]	नई दिल्ली, बुधवार, दिसम्बर 24, 2025/पौष 3, 1947
No. 831]	NEW DELHI, WEDNESDAY, DECEMBER 24, 2025/PAUSHA 3, 1947

कोयला मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 23 दिसम्बर, 2025

सा.का.नि. 917(अ).—केंद्रीय सरकार, खान और खनिज (विकास और विनियमन) अधिनियम, 1957 (1957 का 67) की धारा 18 की उपधारा (1) और उपधारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, कोयला खान नियंत्रण नियम, 2004 में और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात;

1. **संक्षिप्त नाम और प्रारंभ -** (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम कोयला खान नियंत्रण (संशोधन) नियम, 2025 है।

   (2) ये राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. कोयला खान नियंत्रण नियम, 2004 में नियम 9 के स्थान पर निम्नलिखित नियम रखा जाएगा, अर्थात्:-

   "**9. कोयला खान, सीम या सीम के भाग को खोलने के लिए पूर्व अनुमोदन की अपेक्षा -** (1) कोयला खान का कोई भी स्वामी, कंपनी के बोर्ड के पूर्व अनुमोदन के बिना कोयला खान या सीम या सीम के किसी भाग को नहीं खोलेगा:

परंतु कि ऐसा अनुमोदन प्रदान करते समय, बोर्ड यह सुनिश्चित करेगा कि सभी अपेक्षित अनुज्ञाएं अभिप्राप्त कर ली गई हैं और अनुपालन किया गया है, जैसा केंद्रीय सरकार, राज्य सरकार और कानूनी निकायों द्वारा विहित किया जाए:

परंतु कि कोयला खान या सीम या सीम के किसी भाग को खोलने के पंद्रह दिनों की अवधि के भीतर कोयला नियंत्रक संगठन को सूचना भेज दी जाएगी:

परंतु यह भी कि कोयला नियंत्रक संगठन इस प्रयोजन के लिए एक प्रारूप विहित कर सकेगा।

(2) कोयला खान का कोई भी स्वामी, जो कंपनी अधिनियम, 2013 [2013 का 18] के अधीन रजिस्ट्रीकृत कंपनी नहीं है, कोयला नियंत्रक संगठन के पूर्व अनुमोदन के बिना कोयला खान या सीम या सीम का कोई भाग नहीं खोलेगा।

(3) यथास्थिति, उप-नियम (1) या उपनियम (2) के उपबंध, किसी खान या सीम या सीम के किसी भाग में खनन प्रचालन शुरू करने के संबंध में भी लागू होंगे, जहां एक सौ अस्सी दिन या उससे अधिक की अवधि के लिए प्रचालन बंद कर दिया गया है।

(4) कोयला नियंत्रक संगठन, उप-नियम (1) और उपनियम (2) के प्रयोजनों के लिए केंद्रीय सरकार, राज्य सरकार और कानूनी निकायों से अपेक्षित अनुज्ञाओं की एक उपदर्शक सूची अनुरक्षित करेगा।

[फा. सं. एमपीएस-17023/3/2025-एमपीएस]

सनोज कुमार झा, अपर सचिव

टिप्पण:- मूल नियम, भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उपखंड (i) में संख्यांक सा.का.नि. 540(अ), तारीख 25 अगस्त 2004 द्वारा प्रकाशित किए गए, और अंतिम बार संख्यांक सा.का.नि.546(अ), तारीख 9 अगस्त 2021 द्वारा संशोधित किया गया था।

MINISTRY OF COAL

NOTIFICATION

New Delhi, the 23rd December, 2025

G.S.R. 917(E).— In exercise of powers conferred by sub-sections (1) and (2) of section 18 of the Mines and Minerals (Development and Regulation) Act, 1957 (67 of 1957), the Central Government hereby makes the following rules further to amend the Colliery Control Rules, 2004, namely:—

1. **Short title and commencement.**— (1) These rules may be called the Colliery Control (Amendment) Rules, 2025.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. In the Colliery Control Rules, 2004, for rule 9, the following rule shall be substituted, namely :—

"**9. Requirement of prior approval to open a coal mine, seam or section of a seam.—**(1) No owner of a colliery shall open a coal mine or a seam or a section of a seam, without prior approval of the Board of the company:

Provided that while according such approval, the Board shall ensure that all requisite permissions have been obtained and compliances done, as prescribed by the Central Government, the State Government and statutory bodies:

Provided further that an intimation shall be sent to Coal Controller Organisation within period of fifteen days of opening the coal mine or the seam or a section of the seam:

Provided also that the Coal Controller Organisation may prescribe a form for this purpose.

(2) No owner of a colliery, which is not a company registered under the Companies Act, 2013(18 of 2013), shall open a coal mine or a seam or a section of a seam, without prior approval of the Coal Controller Organisation.

(3) The provisions of sub-rules (1) or (2), as the case may be, shall also be applicable as regards commencement of mining operation in a mine or a seam or a section of a seam where operation has been discontinued for a period of one hundred and eighty days or more.

(4) The Coal Controller Organisation shall maintain an indicative list of permissions required from the Central Government, the State Government and statutory bodies for the purposes of sub-rules (1) and (2).

[F. No. MPS-17023/3/2025-MPS]

SANOJ KUMAR JHA, Addl. Secy.

Note:- The Principal rules were published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i), *vide* number G.S.R. 540(E), dated the 25th August 2004, and was last amended *vide* number G.S.R 546(E), dated the 9th August 2021.

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054. SARVESH KUMAR SRIVASTAVA